न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–92/2013–14

श्री घनेन्द्र कुमार शर्मा

–बनाम–

परगनाधिकारी, देहरादून एवं अन्य

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री विजय कुमार गुप्ता।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–3 : श्री मधुसुदन शर्मा।

बावत

मौजा जमनीवाला, पोस्ट–घंघोडा,
तहसील व जनपद देहरादून।

आदेश

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी मसूरी कैम्प–देहरादून द्वारा अपील संख्या–02/2012–13 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम घनेन्द्र कुमार बनाम गजेन्द्र प्रसाद आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 23–06–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्री गजेन्द्र प्रसाद ने अपर तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम जमनीवाला की खाता खतौनी संख्या–21 रकबा 0.125 है0 एवं खाता खतौनी संख्या–22 रकबा 2.603 है0 फसली वर्ष 1410 से 1415 में प्रतिवादीगण अर्थात अपने सगे भाईयों एवं माता के साथ संक्रमणीय भूमिधर संयुक्त खातेदार है। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 10–10–2004 को आपसीघरेलू बंटवारे के अनुसार अपनी–अपनी भूमियों पर काबिज होने, विभिन्न स्तर पर वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य अपने–अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने में अन्य सहखातेदारों द्वारा सहमति प्रदान करने तथा क्रेताओं के नाम नामान्तरणों में अन्य सहखातेदारों द्वारा सहमति देने से यह आवश्यक हो गया है कि आपसी मौखिक घरेलू बंटवारा दिनांक 10–10–2004 जिसको लिखित रूप से 15–02–2008 को तैयार किया गया जिस पर सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर हैं, के अनुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करा लिया जाय। इस वाद में प्रतिवादी/निगरानीकर्ता घनेन्द्र के तामीली के बावजूद उपस्थित न होने पर एवं अन्य पक्षों द्वारा आपत्ति न करने पर अपर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–06–2009 से नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अपर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 27–07–2003 से निरस्त कर दिया। इस आदेश दिनांक 27–07–2013 के विरूद्व निगरानीकर्ता घनेन्द्र ने परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की जिसे बाद में परगनाधिकारी मसूरी कैम्प–देहरादून के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु स्थानान्तरिक किया गया। विद्वान परगनाधिकारी, मसूरी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 23–06–2014 से

अपील निरस्त कर दी। इस निर्णयादेश दिनांक 23-06-2014 के विरूद्ध यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियों तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता तथा उसके दो भाई श्री गजेन्द्र प्रसाद तथा चमनलाल तथा माता श्रीमती विद्या देवी की संयुक्त भूमि है। गजेन्द्र प्रसाद तथा चमन लाल ने आपस में मिलकर एक कूटरचित आपसी बंटवारा दिनांक 15-02-2008 को सादे कागज पर तैयार किया और अपर तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथित आपसी समझौते वाले कागज के आधार पर दाखिल खारिज दिनांक 26-06-2009 को करा लिया। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता ने एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अपर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र लगातार सुनवाई हेतु लम्बित रहा। अपर तहसीलदार ने निगरानीकर्ता के भाईयों से सांठ-गांठ करके मामले को टालते रहे तथा निगरानीकर्ता ने उनके न्यायालय की आर्डर शीट की नकल दिनांक 29-07-2013 को प्राप्त की तो उसमें अन्तिम आर्डर शीट दिनांक 11-07-2013 की है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 15-07-2013 नियत दिखाई गई अर्थात दिनांक 29-07-2013 तक कोई आदेश पारित नहीं हुए थे परन्तु अपर तहसीलदार ने बिना निगरानीकर्ता को सुने ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 27-07-2013 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता ने परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके विरूद्ध प्रतिउत्तरदातागण ने कैविएट प्रस्तुत किया और प्रस्तुत अपील पर अपर तहसीलदार की वाद पत्रावली मंगाये जाने के आदेशा पारित हुए परन्तु अपर तहसीलदार न्यायालय से वाद पत्रावली प्राप्त नहीं हुई। इसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने कलेक्टर, देहरादून के समक्ष भी वाद पत्रावली मंगाने का अनुरोध किया गया परन्तु वाद पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। निगरानीकर्ता ने इस सम्बन्ध में एक निगरानी राजस्व परिषद में योजित की जिसमें सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 15-01-2014 को आदेश पारित किया गया कि मूल वाद पत्रावली को एक माह अन्दर तलाश कर अपील का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करें यदि एक माह अन्दर मूल वाद पत्रावली प्राप्त नहीं होती है तो उसे पुनः निर्मित कर पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वाद को निस्तारित करें। गायब हुई पत्रावलियों के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। अन्त में परगनाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में लम्बित अपील को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु परगनाधिकारी, मसूरी कैम्प-देहरादून के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। परगनाधिकारी मसूरी ने पक्षों से उपलब्ध प्रतियों को लेकर अपर तहसीलदार, देहरादून की वाद पत्रावली को पुनर्निर्मित किया परन्तु उन्होंने बिना तथ्यों का अध्ययन किये ही अपने आदेश दिनांक 23-06-2014 से अपील निरस्त कर दी। विपक्षी संख्या-2 व 3 ने कूटरचित आपसी संधिनामा दिनांक 15-02-2008 अपर तहसीलदार, देहरादून के यहां प्रस्तुत किया और निगरानीकर्ता को बिना सूचना दिये ही दिनांक 26-06-2009 से दाखिल खारिज आदेश पारित करा दिया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 31-08-2009 को प्रस्तुत किया जिसे अपर तहसीलदार ने तकनीकि आधार पर निरस्त कर दिया। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु उठाये गये थे उनपर कोई विचार नहीं किया गया और यही बिन्दु अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी उठाये गये परन्तु उनके द्वारा भी इन बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया गया। अपर तहसीलदार ने स्वंय निगरानीकर्ता के हस्ताक्षरों का मिलान कर कानूनी त्रुटि कि जबकि वे हस्ताक्षरों के मिलान के लिए सक्षम नहीं थे और न ही उनको कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त था। पक्षकार जिन भूखण्डों पर विवाद नहीं था उन्हें आपसी सहमति से विक्रय करते रहे। पहला विक्रय पत्र दिनांक 04-12-2006 को हुआ

तथा दूसरा 15-02-2008 को हुआ परन्तु दिनांक 15-02-2008 के विक्रय पत्र में भी किसी आपसी संधि पत्र का कोई उल्लेख नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर त्रुटि की है कि आपसी संधिपत्र के अनुपालन में विक्रय पत्र दिनांक 15-02-2008 निष्पादित हुआ है जबकि दोनों विक्रय पत्रों में सभी सहखातेदारों ने हस्ताक्षर किये हैं। यदि बंटवारा हो गया होता तो सहमति के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं थी। तथाकथित संधि-पत्र स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्पित होना चाहिए तथा रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर निर्णय न देकर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में एकमात्र विचारणीय बिन्दु लिखा कि इस स्तर पर आदेश दिनांक 26-06-2009 के गुणदोष का निस्तारण विधितः नहीं किया जा सकता जो त्रुटिपूर्ण है। यदि आदेश धोखे से प्राप्त किया गया है तो उसमें न्यायालय को दखल देकर आदेश को निरस्त करना चाहिए न कि तकनीकि आधार पर वाद को निरस्त कर दे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा-73 का संज्ञान भी नहीं लिया गया और उसे विशेषज्ञ से हस्ताक्षरों का मिलाना कराना चाहिए था न कि स्वंय। अपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27-07-2013 को पारित किए और निगरानीकर्ता ने पत्रावली की आर्डर शीट प्राप्त की थी तो उसमें दिनांक 11-07-2013 तक की आर्डर शीट थी तथा यह नियमित प्रक्रिया है कि पूरे पृष्ठ की फोटो प्रतिलिपि मिलती है। प्रश्नगत संधि पत्र में सभी खसरा नम्बरों का कोई विभाजन नहीं हुआ था परन्तु कूटरचित दाखिल खारिज में वह नम्बर भी शामिल कर दिये गये जो तथाकथित संधि-पत्र में शामिल नहीं थे। संधि पत्र में पक्षों की माता श्रीमती विद्या देवी द्वारा अपना हिस्सा तीनों पुत्रों को देना बताया गया परन्तु स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उस पर स्टाम्प शुल्क देय होता है तथा ऐसा दस्तावेज पंजीकृत होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय परगनाधिकारी का आदेश दिनांक 23-06-2014 एवं अपर तहसीलदार, देहरादून के आदेश दिनांक 26-06-2009 तथा 27-07-2013 निरस्त होने योग्य हैं निगरानी स्वीकार की जाय। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने 1998(89) आर0डी0 607 ए0सी0, 2014(102) ए0एल0आर0 793 एच0सी0, 2006(101) आर0डी0 522 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, 2013(2) यू0ए0डी0 पृष्ठ-793 एस0सी0, 2010(110) आर0डी0 736 उच्च न्यायालय, ए0आई0आर0 2000 एस0सी0 पृष्ठ-1165, ए0आई0आर0 1996 एस0सी0 2592, 2014(123) आर0डी0 64, 2007(102) आर0डी0 747, 2009(106) आर0डी0 552, 2013(121) आर0डी0 35, 2001(92) आर0डी0 78 एस0सी0, 1987 ए0एल0आर0 पृष्ठ-68, 1976 आर0डी0 पृष्ठ-319, 2007 यू0ए0डी0 पृष्ठ-27, 2010(110) आर0डी0 432, 2009(107) आर0डी0 259 एवं 2014(123) आर0डी0 736 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या-2 का तर्क है कि मूल दाखिल खारिज वाद श्री गजेन्द्र प्रसाद द्वारा श्री घनेन्द्र कुमार आदि को पक्ष बनाते हुए आपसी मौखिक घरेलू व्यवस्था के आधार पर नामान्तरण हेतु योजत किया गया जिसमें नियमानुसार सक्षी पक्षकारों को नोटिस/इश्तहार के माध्यम से तामीली कराई गयी। इश्तहार श्री घनेन्द्र कुमार, श्री चमनलाल व श्रीमती विद्या देवी तीनों को निजि रूप से तामील कराया गया। निर्धारित तिथि अथवा उसके उपरान्त किसी भी पक्ष द्वारा नामान्तरण के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। संधि पत्र में वर्णित उल्लेख की पुष्टि श्रीमती विद्या देवी व श्री चमनाल द्वारा की गई। श्रीमती विद्या देवी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति स्वरूप शपथ पत्र दिनांक 11-06-2009 को दाखिल किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख कि श्री चमन लाल शर्मा, श्री घनेन्द्र कुमार एवं श्री गजेन्द्र प्रसाद मेंरे तीन पुत्र हैं। मैंने अपने पति के देहान्त के बाद अपने हिस्से में आई भूमि अपने तीनों पुत्रों में समान रूप से बांट दी है। मेरे पुत्रों ने अपने हिस्से में आयी भूमि आपस में बांट ली है पहले घरेलू मौखिक बंटवारा हो गया था और बाद में यादाश्त के लिए उसका लिखित यादाश्त चिठ्ठा भी तैयार किया जा चुका है। बंटवारे के

अनुसार ही मेरे छोटे बेटे श्री गजेन्द्र प्रसाद ने अपने हिस्से की भूमि में से कुछ भाग विक्रय कर दिया है और मेरे दूसरे पुत्र घनेन्द्र कुमार ने भी अपने हिस्से में आई भूमि का कुछ भाग विक्रय कर दिया है और मेरे बड़े पुत्र श्री चमन लाल शर्मा ने अपने हिस्से में आयी भूमि में से कोई भाग किसी भी प्रकार विक्रय नहीं किया और मैंने व मेरे पुत्रों ने उक्त दोनों विक्रय पत्रों पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उनका दाखिल खारिज भी बिना किसी आपत्ति के इसी कारण हो गया है। शपथ पत्र में दर्शित कथनों के अनुसार मुझे दाखिल खारिज के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पुत्र अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज हैं। इसी प्रकार श्री चमन लाल शर्मा द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 09-06-2009 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें आपसी विभाजन को स्वीकार किया तथा सहमति के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का विभाजन स्वीकार किया तथा नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में सहमति प्रकट की गई। श्री चमन लाल शर्मा द्वारा अपने उत्तर में दिनांक 10-10-2004 को आपसी घरेलू मौखिक व्यवस्था होना एवं दिनांक 15-02-2008 को सभी पक्षों के हस्ताक्षरयुक्त आपसी बंटवारे का चिट्ठा चार प्रतियों में बनाया जाना स्वीकार किया गया है। श्री गजेन्द्र कुमार द्वारा साक्ष्य में संधि पत्र एवं शपथ पत्र तथा विभिन्न पक्षों द्वारा आपसी मौखिक घरलू व्यवस्था को स्वीकार करते हुए विशिष्ट भाग के विक्रय से सम्बन्धित विक्रय पत्र की प्रतियां दाखिल की गई जिसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है। अपर तहसीलदार द्वारा समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त एवं नामान्तरण वाद में कोई आपत्ति न आने पर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करते हुए नामान्तरण वाद को आदेश दिनांक 26-06-2009 से स्वीकार कर लिया गया और तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार अमलदरामद भी कर दिया गया। नामान्तरण वाद की कार्यवाही में निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई परन्तु बाद में बदनीयति से घनेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 31-08-2009 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसमें गलत तथ्य वर्णित किये गये हैं। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में इश्तहार पर फर्जी दस्तखत होने की बात गलत रूप से दर्शाई गई है जबकि वास्तव में उसके द्वारा स्वंय इश्तहार पर हस्ताक्षर किये गये और निर्धारित तिथि पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। निगरानीकर्ता घनेन्द्र द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, उनके द्वारा निष्पादित संधि पत्र, शपथ पत्र, विक्रय पत्र एवं न्यायालय की पत्रावली में शामिल इश्तहार के हस्ताक्षर सभी एक समान है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि घनेन्द्र कुमार द्वारा झूठे कथन किये गये हैं। घनेन्द्र कुमार को इश्तहार की तामीली हुई और इस प्रकार उन्हें उक्त वाद की जानकारी प्रारम्भ से ही है। उनके द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 31-08-2009 को दिया गया जो कालबाधित है और न ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में कोई पर्याप्त आधार व कारण विलम्ब का दर्शाया गया। अपर तहसीलदार द्वारा इश्तहार की तामीली के सम्बन्ध में स्पष्ट विवेचना करते हुए कहा गया कि प्रतिपक्षी संख्या-1 न्यायालय में तामीली होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये। उक्त निष्कर्ष यह दर्शाता है कि प्रतिपक्षी/निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार अवर न्यायालय में नामान्तरण कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए। घनेन्द्र कुमार द्वारा नामान्तरण वाद में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए उनको पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र देने का अधिकार नहीं है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा-200 के अन्तर्गत जिसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जाती है वही धारा-201 के अन्तर्गत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दे सकता है। निगरानीकर्ता घनेन्द्र यदि अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 26-06-2009 को चुनौती देना चाहते थे तो उनको धारा-210 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत 30 दिन के अन्दर अपील योजित करनी चाहिए थी अथवा धारा-219 के अन्तर्गत निगरानी योजित करनी चाहिए थी परन्तु उनके द्वारा न तो आदेश दिनांक 26-06-2009 के विरूद्व अपील अथवा निगरानी योजित नहीं की गई। घनेन्द्र कुमार द्वारा स्वंय आपसी मौखिक घरेलू व्यवस्था दिनांक 10-10-2004 को

स्वीकार करते हुए उसके आधार पर खाते की विशिष्ट भूमि विक्रय पत्र दिनांक 15–02–2008 से श्री जोगेन्द्र सिंह आदि को विक्रय की गई जिसमें उनके द्वारा आपसी घरेलू मौखिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया व उसकी पुष्टि की गई। निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार को विक्रय विलेख निष्पादित करने व उसमें आपसी व्यवस्था को स्वीकार करने के उपरान्त पुनः उक्त घरेलू व्यवस्था को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। घरलू व्यवस्था के आधार पर निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार ने जो विक्रय पत्र सम्पादित किए हैं उन्हें वह सही कहते हैं और उन विक्रय पत्रों को उनके द्वारा किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों से यह भी स्पष्ट नहीं है कि संधि पत्र में विभिन्न पक्षों को दी गई भूमि उनको अस्वीकार है और जिस व्यक्ति को उन्होंने आपसी घरेलू व्यवस्था के आधार पर स्वतन्त्र रूप से स्वामित्व दर्शाते हुए भूमि विक्रय की है उसका नामान्तरण निरस्त कर संयुक्त खातें में भूमि डाल दी जाय। अपर तहसीलदार ने धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को निर्णीत करते हुए मूल पत्रावली में उपलब्ध इश्तहार के सम्बन्ध में स्पष्ट विवेचना की है जिसमें उनके द्वारा इश्तहार एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तथा घनेन्द्र कुमार द्वारा जोगेन्द्र सिंह आदि के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र 15–02–2008, पारिवारित सदस्यायें के मध्य निष्पादित संधि पत्र एवं शपथ पत्र में घनेन्द्र कुमार द्वारा किये गये हस्ताक्षरों के मिलने का स्पष्ट उल्लेख किया है। अपर तहसीलदार ने पुनर्स्थापन के निर्णय में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि घनेन्द्र कुमार ने आपसी बंटवारा दिनांक 15–02–2008 को तथा इश्तहार पर हस्ताक्षर फर्जी होना बताया है जबकि स्वंय विक्रय पत्र में बंटवारा होना कहा है। अपर तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण विवेचना एवं अभिलेखों के आधार पर ही प्रश्नगत आदेश पारित किये गये हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि चूँकि घनेन्द्र कुमार ने मूल नामान्तरण आदेश दिनांक 26–06–2009 को अपील अथवा निगरानी में चुनौती नहीं दी इसलिए मूल आदेश के सम्बन्ध में वर्तमान अपील में कोई निष्कर्ष अथवा विवेचना नहीं की जा सकती और धारा–210 के अन्तर्गत योजित अपील पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र/क्षमा याचना प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश से सम्बन्धित है। इसलिए पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जो विवेचना अपर तहसीलदार, देहरादून ने आदेश दिनांक 27–07–2013 में की है उन्हीं तक अपील को सीमित मानते हुए अवर न्यायालय की विवेचना का विश्लेषण करते हुए अपील निरस्त की है। अपीलीय न्यायालय ने धारा–73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विवेचना करते हुए इश्तहार पर निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार के हस्ताक्षरों की पुष्टि की तथा अपर तहसीलदार, देहरादून द्वारा इश्तहार के सम्बन्ध में की गई विवेचना को सही पाया गया। धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत योजित इस निगरानी में तीन बिन्दुओं जो धारा–219 के उपखण्ड ए, बी व सी में वर्णित हैं के अनुसार निर्णय होना है जिनके अनुसार अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को पारित करने की शक्ति उक्त दोनों न्यायालयों में निहित थी। उपखण्ड"बी" के अनुसार अपर तहसीलदार एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किये गय हैं। अतः भू–राजस्व अधिनियम की धारा–219 के अन्तर्गत योजित यह निगरानी पोषणीय नहीं है। निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में मूल आधार इश्तहार तामीली का लिया गया है वह तथ्यों से सम्बन्धित है और तथ्य के बिन्दु पर अवर न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष अन्तिम हैं जिसका निर्णय निगरानी में नहीं किया जा सकता। निगरानी पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है और अवर न्यायालयों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने आर0डी0 1998 पृष्ठ–11, आर0डी0 1998 पृष्ठ–90, आर0डी0 1998 पृष्ठ–67, राजस्व निर्णय संकह 1999 पृष्ठ–220, ए0आई0आर0 1990 पृष्ठ–66, आर0डी0 1991 पृष्ठ–45, आर0डी0 1999 पृष्ठ–291, ए0आई0आर0 1976 पृष्ठ–807, ए0आई0सी0 2006 पृष्ठ–478, आर0डी0 2009 पृष्ठ–223, आर0डी0 2013 पृष्ठ–4,

यू0ए0डी0 2010 वाल्यूम–1 पृष्ठ–510, ए0आई0आर0 1966 मा0 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ–292, सी0आर0एल0जे0 1996 पृष्ठ–3099, एस0सी0सी0 2004(6) पृष्ठ–325 एवं ए0एल0आर0 2007 पृष्ठ–635 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–3 का तर्क है कि धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया है जो उसमें निहित नहीं है, उसमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता दिखाई है या अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैध या सारवान अनियमितता की है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयादेशों में कोई अनियमितता नहीं की गई है और न ही उसमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई विफलता दिखाई दी है। राजस्व परिषद को प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है और परिषद अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग तभी करता है जब निर्णय जिसके विरूद्व पुनरीक्षण दाखिल किया गया है, पारित करने में उस अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो उसमें निहित नहीं है या निर्णय पारित करने में निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया है या निर्णय पारित करने में अवैधता या तात्विक अनियमितता का प्रयोग किया गया है। केवल गलत निर्णय या विधिक की गलती या क्षेत्राधिकार का उपयोग में गलती शब्दावली "अवैध रूप से" या सारवान अनियमितता material irregularity के अन्तर्गत नहीं आती है। निगरानीकर्ता द्वारा अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–07–2013 के विरूद्व धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 23–06–2014 के विरूद्व निगरानी योजित की गई अर्थात अपर तहसीलदार द्वारा पारित मूल दाखिज खारिज आदेश दिनांक 26–06–2009 के विरूद्व कोई अपील धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत योजित नहीं की गई और न ही कोई निगरानी। अतः अपर तहसीलदार द्वारा मूल दाखिल खारिज आदेश दिनांक 26–06–2009 चुनौती न दिये जाने के कारण अन्तिम हो चुका है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में यह तर्क दिया है कि रिट में मा0 उच्च न्यायालय में सभी आदेशों पर सुनवाई की जाती है तो इस सम्बन्ध में यह तर्क है कि यह रिट याचिका नहीं है निगरानी है जिसका बहुत सीमित स्कोप है। धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम मुख्य रूप से दाखिल खारिज से सम्बन्धित है और इसका मुख्य उद्देश्य मालगुजारी है। धारा–34 के अन्तर्गत पक्षकारों के अधिकारों और स्वत्व का विनिश्चयन नहीं किया जाता है। उत्तराधिकार या अन्तरण के कब्जे की रिपोर्ट ही धारा–34 है और अन्तरण में कौटुम्बिक बन्दोबस्त शामिल है। यदि मौखिक समझौते के अनुसार उन पर अमल किया जा चुका है और किसी समय उसे लेखबद्व कर लिया जाता है ताकि उसका अभिलेख रहे या न्यायालय से सूचना के लिये या दाखिल खारिज कराने के लिए है तो ऐसे याददाश्त के चिठ्ठे को पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है। स्टाम्प सम्बन्धी विवादों को निपटाने का कार्य दाखिल खारिज तय करने वाले न्यायालय का नहीं है। निगरानीकर्ता का कमी स्टाम्प प्रार्थना पत्र कलेक्टर द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। पारिवारिक समझौते में यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य को लाभ पहुंचा है तो बहुत समय के पश्चात उसे केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि कुछ लोग उस समझौते में पक्षकार नहीं थे। सहमति विलेख को पंजीकरण अधिनियम की धारा–17(2)(vi) के दृष्टिकोण में अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में दिनांक 30–09–2004 को अन्य सहखातेदारों के साथ तीनों भाईयों व उनकी माता का संयुक्त भूमि का न्यायालय से विभाजन हुआ और दिनांक 10–10–2004 को चारों ने मौखिक पारिवारिक व्यवस्था तय कर अपना हिस्सा तय कर लिया जिसके आधार पर दिनांक 04–12–2006 को एक भाई ने घरेलू मौखिक बंटवारे को स्वीकार करते हुए पंजीकृत बैनामा गजेन्द्र प्रसाद बहक श्रीमती संगीता सिंह सम्पादित किया तथा विक्रय पत्र में मौखिक घरेलू बंटवारे के तथ्य का उल्लेख किया है जिसे सभी पक्षकारों मय घनेन्द्र कुमार निगरानीकर्ता ने उक्त विक्रय पत्र में अपने हस्ताक्षरों से स्वीकार किया है। दिनांक 15–02–2008 को दिनांक 10–10–2004 के मौखिक घरेलू बंटवारे

को याददाश्त के चिठ्ठे के रूप में लिखा गया और जिसे संधि पत्र का नाम दिया गया जिसकी एक-एक प्रति चारों पक्षकारों को दी गई तत्पश्चात दिनांक 15-02-2008 को ही निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र जोगेन्द्र सिंह आदि के पक्ष में सम्पादित किया जिसमें सबके हस्ताक्षर हैं, फोटो लगे हैं और जो उप निबन्धक, देहरादून के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। उक्त विक्रय पत्र में जो निगरानीकर्ता ने तैयार कराया था, आपसी घरेलू बंटवारे के तथ्य को स्वीकार किया है। उक्त संधि पत्र अर्थात याददाश्त का चिठ्ठा निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार द्वार प्रयोग में लाया गया है जिसका लाभ उठाकर निगरानीकर्ता ने संधि पत्र द्वारा हुए विभाजन में प्राप्त भूमि को विक्रय किया है अर्थात उक्त संधिपत्र पर अमल हो गया है। निगरानीकर्ता को दिनांक 15-02-2008 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 31-08-2009 की तिथि तक अर्थात लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि में उक्त संधि पत्र पर कोई आपत्ति क्यों नहीं हुई, इसका कोई कारण निगरानीकर्ता ने स्पष्ट नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल खारिज कार्यवाही में किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की। गजेन्द्र प्रसाद के दाखिल खारिज का अन्य सहखातेदार गजेन्द्र प्रसाद के भाई चमन लाल शर्मा व माता श्रीमती विद्या देवी ने समर्थन किया। अतः आदेश हो जाने के बाद किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या-8 में निगरानीकर्ता का स्पष्ट कथन है कि उसने एक आपसी बंटवारा तथाकथित दिनांक 15-02-2008 को तैयार करवाया था तथा सबके हस्ताक्षर उस पर करवाये। जहां तक आदेश दिनांक 11-07-2013 की नकल का प्रश्न है उक्त आदेश पत्र की नकल प्रार्थी ने मांगी जो उन्हें प्राप्त हुई है। दाखिल खारिज की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह हस्ताक्षरों के मिलान हेतु दो भाईयों, उनकी माता जी और स्वतन्त्र गवाह संधि पत्र को पुष्ट कर रहे हैं तो केवल निगरानीकर्ता का संधि पत्र को फर्जी बताना आधारहीन है। संयुक्त खातेदारों ने भूमि का स्वंय विभाजन कर लिया और संधिपत्र के आधार पर अपने हिस्से में आई भूमि का अन्तरण भी कर दिया और तब संधिपत्र का दाखिल खारिज कराया गया इसलिए धारा-176 की कार्यवाही को कोई औचित्य नहीं रह गया क्योंकि बंटवारा उन्होंने पहले ही कर लिया था केवल दाखिल खारिज की कार्यवाही ही शेष थी। अवर न्यायालयों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है और निगरानी आधारहीन है और निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने 1982 आर0डी0 241, (2015) 1 यू0ए0डी0 181, 2010(1) यू0ए0डी0 510, ए0आई0आर0 1965 एस0सी0 292, 2013(120) आर0डी0 4, ए0आई0सी0 2006 पी0एण्ड एच0 478, ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 807, 2009(106) आर0डी0 223, ए0आई0आर0 1975 एस0सी0 1119, 2003 आर0एल0टी0 478, ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 3255, (2012)6 ए0एल0टी0 650 एवं (2011) 3 ए0डब्लू0सी0 2512 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-02 गजेन्द्र प्रसाद ने निगरानीकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या-03 तथा उनकी माता श्रीमती विद्या देवी के आपसी मौखिक घरेलू बंटवारे एवं संधि पत्र के आधार नामान्तरण हेतु वाद अपर तहसीलदार, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया। इस नामान्तरण वाद में निगरानीकर्ता एवं प्रतिवादीगण की माता श्रीमती विद्या देवी तथा प्रतिवादी संख्या-03 श्री चमन लाल शर्मा ने नामान्तरण में अपनी सहमति प्रकट की परन्तु निगरानीकर्ता श्री घनेन्द्र कुमार की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। अपर तहसीलदार ने प्रस्तुत सहमति पत्रों एवं नामान्तरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने कारण निर्णयादेश दिनांक 26-06-2009 से नामान्तरण वाद स्वीकार किया गया। इस नामान्तरण आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने दिनांक 31-08-2009 को एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है और उसे नामान्तरण वाद में कोई समन व इश्तहार तामील नहीं हुआ है और पत्रावली का निरीक्षण करने पर उसे ज्ञात हुआ कि किसी फर्जी बंटवारा दिनांक 15-02-2008 के आधार

पर दाखिल खारिज आदेश पारित कराया गया है तथा प्रश्नगत भूमि का कोई घरेलू बंटवारा नहीं हुआ है। प्रश्नगत दाखिल खारिज एक अवैध एवं शून्य दस्तावेज के आधार पर करवाया गया है। निगरानीकर्ता ने नामान्तरण वाद को पुनर्स्थापित किए जाने का अनुरोध किया। उभयपक्षों को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एवं धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनने के उपरान्त अपर तहसीलदार, देहरादून द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 27–07–2013 से निगरानीकर्ता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता ने सहायक कलेक्टर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 प्रस्तुत की गई जो विद्वान परगनाधिकारी, मसूरी कैम्प–देहरादून द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 23–06–2014 से निरस्त कर दी गई जिसके विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता ने पूर्व में सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील में विचारण न्यायालय के आदेश को स्थगित न करने पर एक निगरानी संख्या–104/2013–14 घनेन्द्र कुमार बनाम परगनाधिकारी आदि विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया गया था कि ''वे मूल वाद पत्रावली को एक माह अन्दर तलाश कर अपील का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करें। यदि एक माह अन्दर मूल वाद पत्रावली प्राप्त नहीं होती है तो उसे पुनः निर्मित कर पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद को निस्तारित करें। जिसके कम में मूल पत्रावली यथा दाखिल खारिज एवं पुनर्स्थापन वाद पत्रावली पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित की गई।''

मैंने उपलब्ध दाखिल खारिज पत्रावली का अवलोकन किया। इस वाद पत्रावली में प्रतिवादी संख्या–2 श्री गजेन्द्र प्रसाद द्वारा श्रीमती संगीता सिंह के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र 04–12–2006 की छायाप्रति उपलब्ध है जिसमें निगरानीकर्ता श्री घनेन्द्र कुमार, प्रतिवादी संख्या–2 गजेन्द्र कुमार एवं प्रतिवादी संख्या–03 श्री चमन लाल शर्मा तथा उनकी माता श्रीमती विद्या देवी के हस्ताक्षर एवं फोटो लगी है। इस विकय पत्र में सहमतिकर्ता के रूप में श्रीमती विद्या देवी एवं निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी संख्या–03 श्री चमन लाल शर्मा का सहमतिकर्ता के रूप में उल्लेख है। इस विकय पत्र में निगरानीकर्ता एवं प्रतिवादीगण तथा उनकी माता के बीच भूमि घरेलू आपसी मौखिक बंटवारे का स्पष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार नामान्तरण वाद पत्रावली में कागज संख्या–33 पर उपलब्ध विकय पत्र जो निगरानीकर्ता श्री घनेन्द्र कुमार द्वारा श्री जोगेन्द्र सिंह के पक्ष में दिनांक 15–02–2008 को निष्पादित किया गया है। इस विकय पत्र में सहमतिकर्ता के रूप में निगरानीकर्ता की माता श्रीमती विद्या देवी एवं प्रतिवादी संख्या–02 गजेन्द्र प्रसाद तथा प्रतिवादी संख्या–03 श्री चमन लाल शर्मा के नाम का उल्लेख है तथा उनके हस्ताक्षर उपलब्ध हैं तथा उनकी फोटो भी लगी है और इस विकय पत्र के पृष्ठ–06 में भी घरेलू बंटवारा होने का उल्लेख किया गया है। इस विकय पत्र के पृष्ठ–10 में निगरानीकर्ता घनेन्द्र कुमार द्वारा भविष्य में इसी प्रकार सहमतिकर्तागण अपने भाग में से कोई अन्तरण करना चाहेंगे तो मुझ विकेता को कोई आपत्ति न होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नामान्तरण वाद पत्रावली में कागज संख्या–108 संधि पत्र पर निगरानीकर्ता तथा प्रतिवादीगण जो सगे भाई हैं उनके हस्ताक्षर एवं उनकी माता श्रीमती विद्या देवी के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं जो स्पष्ट परिलक्षित हैं। स्वंय निगरानीकर्ता की ओर से अपनी निगरानी के साथ उपलब्ध अभिलेख दस्तावेजों में निगरानीकर्ता श्री घनेन्द्र कुमार द्वारा श्री जोगेन्द्र सिंह के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र कागज संख्या–4/1 से 4/24 संलग्न किया गया है जिसमें कागज संख्या–4/6 पर विकय पत्र के पृष्ठ–6 में भविष्य में इसी प्रकार सहमतिकर्तागण को अपने भाग की भूमि विकय एवं अन्तरण करने में अनापत्ति होने तथा घरलू बंटवारा होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः

उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि पक्षकारों के मध्य आपसी घरेलू बंटवारा हो चुका है।

यह अत्यन्त आश्चर्य है कि निगरानीकर्ता द्वारा एक ओर तो प्रतिवादी संख्या–02 श्री गजेन्द्र प्रसाद द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र पर अपनी आपत्ति दर्ज की जा रही है वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा स्वंय निष्पादित विक्रय पत्र पर कोई आपत्ति अथवा संशय प्रकट नहीं किया जा रहा है। मैंने अपर तहसीलदार, देहरादून के नामान्तरण वाद में पारित निर्णयादेश दिनांक 26–06–2009 का भी अध्ययन किया। इस निर्णयादेश में निगरानीकर्ता एवं प्रतिवादीगण की माता श्रीमती विद्या देवी तथा प्रतिवादी संख्या–03 श्री चमन लाल शर्मा द्वारा नामान्तरण में अपनी सहमति प्रकट किये जाने का उल्लेख है वहीं दूसरी ओर निगरानीकर्ता श्री घनेन्द्र कुमार द्वारा तामीली के बावजूद अपनी आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। यह भी स्पष्ट है कि एक ओर तो निगरानीकर्ता द्वारा विक्रय पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनका यह कहना कि उनको नामान्तरण वाद में कोई सूचना अथवा इश्तहार तामील नहीं कराया गया विरोधाभाष प्रकट करता है। उनके द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया अतः उनके विक्रय पत्रों पर हस्ताक्षर करने से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें भूमि विक्रय होने की पूर्णरूप से जानकारी है तो यदि उन्हें नामान्तरण में कोई आपत्ति थी तो उन्हें समय सीमा के अन्तर्गत अपनी आपत्ति नामान्तरण वाद में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपर तहसीलदार ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में भी भली–भांति परीक्षण के पश्चात आदेश दिनांक 27–07–2013 से निर्णीत किया है। विद्वान परगनाधिकारी ने भी अपने निर्णयादेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिस संधि पत्र दिनांक 15–02–2008 के आधार पर दाखिल खारिज का वाद 26–06–2009 को निर्णीत किया गया है को अपीलार्थी घनेन्द्र कुमार ने चुनौती नहीं दी है उसी दिन अपीलार्थी ने दिनांक 15–02–2008 को विक्रय पत्र जोगेन्द्र सिंह के पक्ष में निष्पादित किया है और जिसमें सहखातेदारों द्वारा सहमतिकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किये गये हैं और विक्रेता घनेन्द्र कुमार द्वारा विक्रय विलेख में स्वंय ही पारिवारिक बंटवारा होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता श्री घनेन्द्र कुमार द्वारा स्वंय विक्रय विलेख के माध्यम से संधि पत्र को स्वीकार किया गया है अतः धारा–58 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है।

धारा–58 साक्ष्य अधिनियम में यह वर्णित है कि – "Section-58- Facts admitted need not to proved- No facts need be proved in any proceeding which parties thereto or their agents agree to admit at the hearing or which before the hearing, they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings. "

भू–राजस्व अधिनियम धारा–34 में भी यह व्रर्णित है कि " उत्तराधिकारी अथवा कब्जे के अन्तरण की रिपोर्ट–**स्पष्टीकरण**– इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "अन्तरण" निम्नलिखित को सम्मिलित करेगा– (i) एक पारिवारिक समझौता जिसके द्वारा अधिकार–अभिलेख में उस परिवार के एक या अधिक सदस्यों के नाम व पूरी भूमि अथवा उसका कोई अंश अंकित है, किसी दूसरे सदस्य या दूसरे सदस्यों का स्वामित्व घोषित किया जाता है" अतः यह स्पष्ट है कि धारा–34 में पारिवारिक समझौता अथवा बन्दोबस्त भी सम्मिलित है।

जहां तक संधि पत्र के पंजीकरण का प्रश्न है तो अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–03 की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था 2015(1) यू०ए०डी० 181 फूल पत्ती व अन्य बनाम राम सिंह व अन्य में भी मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है

कि– ''पंजीकरण अधिनियम, 1908 धारा–17(1)(a) और 17(2)(vi)– स्व अर्जित सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति–पंजीकरण– धारित कि स्पष्टतः u/s 17(1)(a) अधिनियम, 1908 उपहार को बाध्यात्मक पंजीकरण की आवश्यकता होती है जबकि सहमति विलेख को धारा 17(2)(vi), अधिनियम 1908 के दृष्टिकोण में अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–03 द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधिक व्यवस्था 2009(106) आर0डी0 223 श्रीमती विद्या देवी बनाम प्रकाश व अन्य में मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा यह अवधारित किया गया है कि –''पारिवारिक बन्दोबस्त–समझौते के द्वारा–सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है–एक पक्षकार जिसने उस संव्यवहार के अन्तर्गत लाभ अर्जित किया हो हकदार नहीं है उससे वापस मुड़ जाये और कहे कि वह संव्यवहार उस प्रकृति का था कि दूसरा पक्ष उसमें शामिल नहीं हो सकता था–एवं वह अवैध है।''

इस निगरानी में एक अन्य प्रश्न जिसमें हस्ताक्षरों के मिलान हेतु विशेषज्ञ को बुलाने का अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा उठाया गया है तो विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–03 द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्था (20012) 6 ALT 650 M.Pentaiah Versus B. Parmeshwar में मा0 आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि –

'' Evidence Act, 1872, Section 45 and 73-Expert opinion- Opinion of Handwriting/Finger Expert or other Experts opinions are only relevent facts- Court under Section 73 of the Act can form its own opinion on comaprision of signatures or thumb impression- Court need not refer every document to Experts opinion on more asking by one of the parties, unless Court opines that in a given case, opinion of Expert is necessary.''

मैं अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–02 के इस तर्क से भी सहमत हूँ कि नामान्तरण वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला पक्ष प्रार्थी कहलाता है व विरोध अथवा आपत्ति करने वाला पक्ष आपत्तिकर्ता। नामान्तरण वाद में वादी प्रतिवादी नहीं होते हैं। जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करता है वही विपक्षी कहलाता है। भू–राजस्व अधिनियम में धारा–34 के प्रकरण में भी यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्नगत मामले में हितबद्ध है, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त उद्घोषणा में दी गई अवधि के अन्तर में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रश्नगत अधिकारी नियमतः कार्यवाही करने के उपरान्त नामान्तरण का आदेश पारित कर सकता है और ऐसी विधिपूर्ण कार्यवाही में पारित नामान्तरण का आदेश एकपक्षीय आदेश नहीं कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–02 की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था ए0आई0आर0 1990 गुवाहाटी 66 सुबाहु कुमार जैन बनाम जगदीश प्रसाद चौधरी व अन्य में भी यह अवधारित किया गया है कि–

''Civil P.C.(1908),).9,R.13- Ex parte decree- Setting aside of- Application for- Who can file- only "defendent" can file application O.9, R.13 for setting aside ex parte decree-Application filed by a person who was not a "defendent" in the suit decided ex parte- Not maintainable.''

जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह तर्क कि अपर तहसीलदार, देहरादून द्वारा पारित नामान्तरण आदेश धोखे व जालसाली से प्राप्त किया गया है तो उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सभी तथ्य निगरानीकर्ता के संज्ञान में पूर्व से ही थी और उनके द्वारा नामान्तरण वाद में कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई तो यह कहना कि प्रश्नगत आदेश धोखे व जालसाली से प्राप्त किया गया है तर्कसंगत नहीं है अतः चूँकि समस्त तथ्य निगरानीकर्ता के संज्ञान में पूर्व से ही थे अतः

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थायें इस प्रकरण में लागू नहीं होती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भली–भाँति परीक्षण के पश्चात गुणदोष के आधार पर पारित किये गये हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 10/7/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।